

150

257

न्यायालय श्रीमान् माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

R-5069-4/15 शाखा लिंक कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

421
23.9.15



RS 20/-

विजयप्रकाश
आज दिनांक
शुभ हुआ गया।

- 01- शशिकलाधर प्रसाद अग्निहोत्री तनय स्व0 श्री गुरु नंदनी प्रसाद अग्निहोत्री,
- 02- नीलकण्ठ प्रसाद पिता गुरु नंदनी प्रसाद अग्निहोत्री
- 03- श्रीमती काशी बाई विधवा पत्नी स्व0 गुरु नंदनी प्रसाद अग्निहोत्री

समी निवासी ग्राम अमवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

—निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

- | सदर कोर्ट रीवा | बनाम |
|----------------|--|
| 01- | चन्द्रमोहन सिंह तनय श्री रामप्रताप सिंह, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम रतहरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) |
| 02- | अमित कुमार सिंह तनय श्री उदय बहादुर सिंह, निवासी आनन्द नगर बोदा बाग रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) |
| 03- | परेश पटेल तनय स्व0 रमाकान्त वर्मा, निवासी मानस नगर बरा रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) |
| 04- | मोहम्मद सलीम तनय अब्दुल हक, उम्र 42 वर्ष, निवासी मोहल्ला तरहटी रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) |
| 05- | कुसुमवती पुत्री स्व0 गुरु नंदनी प्रसाद पत्नी श्री राधिकादत्त पाण्डेय, उम्र 65 वर्ष, निवासी ए0जी0 कालेज के पास पड़रा रीवा, तहसील हुजूर, थाना सिविल लाईन, जिला रीवा (म0प्र0) |

—गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हुजूर, जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क0-156/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 11/08/2015

M

शशि

W

8

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.5069-II/2015

जिला-रीवा

शशिकलाधर प्रसाद त्रिपाठी/चन्द्रमोहन सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 156/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">   (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	